

## Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 09 दसिंबर, 2022

### वन्य जीव संरक्षण संशोधन वधियक-2022

वन्य जीव संरक्षण संशोधन वधियक-2022, 8 दसिंबर को संसद से पारति हो गया। लोकसभा से पहले ही पारति इस वधियक पर राज्य सभा ने अपनी मुहर लगा दी है। इस वधियक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभसिमय को लागू करना और इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का वसितार करना है। इस वधियक के माध्यम से केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने वन कषेत्रों में रहने वाले लोगों और वन्यजीवों के संरक्षण पर जोर दिया। वर्ष 2004 से 2014 के बीच जहाँ देश में दो लाख 26 हज़ार वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन कषेत्र का उपयोग दूसरे कार्यों के लिये किया गया वहीं वर्ष 2014 से 2022 के बीच केवल एक लाख 30 हज़ार वन कषेत्र का ही इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिये किया गया, और इन प्रयासों की वजह से ही देश के हरति कषेत्र का वसितार हुआ है। इस वधियक में केंद्र सरकार को एक ऐसा प्राधिकरण बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, जो संरक्षित प्रजातियों के नरियात अथवा आयात हेतु लाइसेंस प्रदान कर सकेगा।

### अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार वरिधी दविस

भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका मुकाबला करने हेतु परतविरष 09 दसिंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार वरिधी दविस' मनाया जाता है। 'अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार वरिधी दविस-2022' का वषिय है भ्रष्टाचार के वरिद्ध वशिव को एकजुट करना (Uniting the world against corruption)। वर्ष 2022, भ्रष्टाचार के वरिद्ध संयुक्त राष्ट्र अभसिमय (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) की 20वीं वर्षगाँठ है। वर्ष 2022 का अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार वरिधी दविस में भ्रष्टाचार वरिधी और शांति, सुरक्षा और वकिस के बीच महत्त्वपूर्ण कड़ी पर प्रकाश डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 31 अक्टूबर, 2003 को भ्रष्टाचार के खलिफ एक अभसिमय को अपनाया था। इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार को रोकने और अभसिमय के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये परतविरष 09 दसिंबर को 'अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार वरिधी दविस' के रूप में भी नामति किया था। यह अभसिमय दसिंबर 2005 में लागू हुआ। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से रोज़गार सृजति करने, लैंगकि समानता की दशिा में महत्त्वपूर्ण प्रगति करने और स्वास्थ्य देखभाल एवं शक्तिषा जैसी आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुँच हासलि करने में मदद मलि सकती है।